न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/43/2021 रजि0 न0 2021/82

अपीलार्थीः–

श्री जसवन्त सिंह यादव पुत्र श्री पन्ना लाल यादव, निवासी ग्राम पो0 शेरपुर तह0 बहरोड़ जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 23.03.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2020 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.03.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/688 दिनांक 19.03.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि वांछित सूचना की विषयवस्तु इस कार्यालय से संबंधित ना होकर तहसीलदार बहरोड़ से संबंधित होने के कारण पत्र सं. 21–22 दिनांक 06.01.2021 के माध्यम से धारा 6(3) के तहत तहसीलदार बहरोड़ को अन्तरित किया जा चुका है जिसकी प्रति भी अपीलार्थी को प्रेषित की गई है, जिसकी प्रति संलग्न कर है। साथ ही लिखा गया है कि वो प्रकरण मे आगामी कार्यवाही बाबत सूचना/जानकारी तहसीलदार बहरोड़ कार्यालय में संपर्क स्थापित कर प्राप्त कर सकता है एवं तहसीलदार बहरोड़ के प्रथम अपील अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर से किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराई जाना अपेक्षित नही है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)